राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित | Published by Authority

माघ 3, बुधवार, शाके 1934–जनवरी 23, 2013
Magha 3, Wednesday, Saka 1934–January 23, 2013

भाग 6 (ख)
जिला बोर्ड, परिषदें एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 27, 2012

संख्या एफ–6( ) आ.राज.(सा.प्र.)/जननि/2012/682 – नगर निगम जयपुर की साधारण सभा मीटिंग दिनांक 13–06–2012 के प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां 2012 की स्वीकृति प्रदान की गई है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ उक्त उपविधियां प्रकाशित की जाती है

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 सपठित धारा 339 (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर एतद्द्वारा नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां 2012 नगर निगम जयपुर की साधारण सभा में स्वीकृति दिनांक 13–06–2012 से प्रभावशील होगी।

नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां, 2012

नगर निगम जयपुर की साधारण सभा की मीटिंग दिनांक 13–06–12 के प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां, 2012 की स्वीकृति प्रदान की गई है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नगरीय निकाय क्षेत्र में विवाह स्थल से आमजन को होने वाली असुविधा एवं निकाय द्वारा सम्पादित सेवाओं पर बढते हुए दबाव के कारण विवाह स्थलों के संचालन के नियंत्रण हेतु जनहित में उपविधि बनाया जाना आवश्यक हो गया है। मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एकलपीठ दीवानी याचिका संख्या 7275/06 श्री राजकुमार तायल बनाम सरकार व अन्य में दि. 11–04–08 को इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया था। अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 339 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगर निगम जयपुर द्वारा बनाये गये संलग्न नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधित उपविधियां, 2012 स्वीकृत करती है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) की धारा 339 (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जयपुर एतद्द्वारा संशोधन उपविधियां बनाता है, यथा :–

नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां, 2012

1. शीर्षक, सीमा एवं प्रभाव :–

(क) ये उपविधियां नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधियां, 2012 कहलायेंगी।

(ख) ये उपविधियां नगर निगम की साधारण सभा की बैठक दिनांक 13–06–2012 की स्वीकृति दिनांक से प्रभावशील होगी।

(ग) ये उपविधियां नगर निगम जयपुर की समस्त सीमा में प्रभावशील होगी।

2. शाब्दिक परिभाषाएं :– जब तक अर्थ में असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार व्यवहृत होगी :–

(i) अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2009) से है।

(ii) समिति से तात्पर्य नगर निगम जयपुर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 के अंतर्गत गठित समिति से है।

(iii) स्थानीय निकाय से तात्पर्य नगर निगम जयपुर से है।

(iv) उपयोग व उपभोग अनुमति से तात्पर्य विवाह स्थल पर इन उपविधियों के अंतर्गत उपविधि 2 के खण्ड (ix) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने वाली अनुमति से है।

(v) अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अंतर्गत विवाह स्थल पंजीयन की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

(vi) "महापौर" से तात्पर्य नगर निगम जयपुर के महापौर से है।

(vii) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" [illegible] जयपुर के [illegible] अधिकारी से है।

(viii) प्राधिकृत प्राधिकारी से [illegible] द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो जोन उपायुक्त [illegible] (राजस्व) से है, प्राधिकृत अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा [illegible] स्थल की अनुमति एवं [illegible] की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

(ix) विवाह स्थल से तात्पर्य नगर निगम जयपुर की सीमा में स्थित [illegible] भूखण्डों/फार्मो/सामुदायिक केन्द्रों/भवनों/क्लब/होटल/बाग इत्यादि [illegible] सगाई, शादी, जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह/[illegible] प्रदर्शनी/कन्वेशन/गरबा उत्सव/[illegible] आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ [illegible] लिये जाते हैं।

(x) ऐसे भूखण्ड/भवन जिनका रूपांतरण/आवंटन व्यावसायिक/पर्यटन/[illegible] प्रयोजनार्थ किया गया है परन्तु आवंटन की शर्तों में भूखण्ड/भवन का उपयोग उपविधी 2 के खण्ड (ix) में दर्शाये गये विभिन्न सामाजिक प्रयोजनार्थ [illegible] सम्मिलित नहीं किया गया है तो ऐसे समस्त भूखण्डधारी/भवन मालिक [illegible] "विवाह स्थल" पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।

(xi) प्रपत्र से तात्पर्य इन उपविधी के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये हैं उनके संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में दी [illegible] परिभाषाएं लागू होंगी।

3. निषेद्ध –

स्थानीय निकाय की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति [illegible] किये बिना ऐसे स्थान का विवाह स्थल अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकेगा। वर्तमान [illegible] स्थापित विवाह स्थलों के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अपना कर नगर निगम जयपुर से अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4. **अनुमति पत्र प्राप्ति की प्रणाली** – कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी जो स्थानीय निकाय सीमा में [illegible] भूखण्ड/भवन/फार्म हाउस उपयोग विवाह स्थल/अन्य प्रयोजनार्थ करना चाहता है अथवा इन उपविधियों के प्रभावी होने से पहले ही स्थल का उपयोग उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा है [illegible] उसे :-

(i) निर्धारित प्रपत्र "क" में आवेदन करना होगा।

(ii) विवाह स्थल का कम्प्यूटराईज्ड ले-आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसमें [illegible] में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा:-

(क) महिला व पुरूष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय।

(ख) भवन विनियमों में निर्धारित अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था।

(ग) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों को समाहित करने की क्षमता।

(घ) आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान में आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पूर्व दूसरा रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही [illegible] किया जा सकेगा।

(ङ) सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट होना अनिवार्य है।

(च) कचरा संग्रहण एवं गंदे पानी की निकास की व्यवस्था।

(छ) बिजली-पानी तथा इमरजेंसी लाइट की पर्याप्त व्यवस्था।

(ज) वाटर हारवेस्टिंग की व्यवस्था के अंतर्गत अब 300 व.मी. से कम पक्का निर्मित भवन से कम में वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी।

(झ) हलवाई/कैटरिंग/अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है, आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण, पार्क, लैण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण, प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान का इंगितिकरण इत्यादि।

(ट) पार्किंग व्यवस्था कुल क्षेत्रफल के कम से कम 25 प्रतिशत में होगी।

(ठ) आवेदन पत्र के साथ विवाह स्थल के आवेदित भूखण्ड का कोई कर (नगरीय विकास कर, लीज इत्यादि) बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iii) संबंधित भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति।

(iv) यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उस स्थल के मालिक से लिखित में [illegible] इकरारनामा एवं एम.ओ.यू./अन्य कानूनी दस्तावेज, जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटराईज्ड प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी एवं [illegible] स्थल की अधिसूचना (भूखण्ड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अंतर्गत [illegible]

[illegible] किया जावेगा [illegible] हेतु [illegible] का [illegible] प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। [illegible] निष्पादित आशय [illegible] रु. 10/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प [illegible] प्रस्तुत करना होगा कि–

(अ) ध्वनि विस्तार [illegible] के संबंध में उपविधि संख्या 9 (d) की पालना की जावेगी।

(ब) विवाह स्थल पर [illegible] बाधित होने से रोकने के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार गार्ड [illegible] के संबंध में उपविधि सं. 11 की पालना की जावेगी।

(स) विवाह स्थल पर आयोजन से उत्पन्न कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थ अलग– अलग [illegible] में पैक करके नगर निगम जयपुर के सफाई कर्मचारियों को सुपुर्द करने के संबंध में उपविधि सं. 13 की पालना की जावेगी।

(द) उपविधियों द्वारा निर्धारित प्रति आयोजन सफाई शुल्क जमा कराने के संबंध में उपविधि सं. 12 की पालना की जावेगी।

समस्त वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् स्थानीय निकाय के अधिकृत प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जांच की जाकर अनुमति दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा। नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक निर्णय लेकर लाईसेंस देने की ऑनलाईन प्रक्रिया लागू कर सकेंगे। ऐसी दशा में आवेदक प्रार्थना पत्र के साथ सभी औपचारिक दस्तावेज एवं फीस अदायगी की रसीद प्रस्तुत करेगा। फीस अदा होने के 30 दिवस में अनुज्ञप्ति अधिकारी/जोन आयुक्त/आयुक्त (राजस्व)/फायर ऑफिसर/राजस्व अधिकारी उक्त विवाह स्थल की जांच उपविधियों के प्रावधानों के अनुरूप करेगा तथा विवाह स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति देगा। अस्वीकृत होने की दशा में कारण बताओ नोटिस जारी कर आवेदक को सुनेगा और सुनकर यथोचित आदेश जारी करेगा। निरस्त होने की दशा में जमा शुल्क लौटाया नहीं जावेगा। किंतु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्थल का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया गया है तो 5000/–रु. प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

5. **प्रक्रिया:**– प्रक्रिया में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशन की बाध्यता विलोपित की जाती है।

6. **भूमि/भवन स्वामित्व की जांच:**– यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हों या वांछित दस्तावेज जांच में सही नहीं पाये जावें तो उपविधि 4 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। किंतु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में स्थल का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया है तो 5000/–रु. प्रोसेसिंग शुल्क जमा कर शेष राशि लौटा दी जावेगी। आवेदनकर्ता के आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।

7. **अपील:**– विवाह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 30 दिवस में इसकी आपत्ति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में गठित नियम उपनियम समिति में की जा सकेगी।

8. **आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा:**– स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. **प्रतिबंधित क्षेत्र:**–

   (a) ऐसे स्थान पर जहां पर अस्पताल, रात्रिकालीन शिक्षण संस्थाऐं या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य में बाधा आती हो, वहां पर विवाह स्थल की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

   (b) विवाह स्थल का संचालन चिकित्सालय से 100 फीट की परिधि में प्रतिबंधित होगा।

   (c) राज्य सरकार द्वारा दिए गये निर्देशों पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर स्थानीय निकाय सुरक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर सकती है।

   (d) निर्धारित समय रात्रि 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस बाबत विवाह स्थल पर इस संबंध में बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि यंत्रों के संबंध में जारी निर्देशों/प्रतिबंधों की पूर्ण पालना करनी होगी।

10. अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाण पत्र का शुल्क निम्नानुसार वसूल किया जावेगा:–

   (i) 1500 व.मी. तक के विवाह स्थल के लिए – 1000रु. वार्षिक

   (ii) 1500 से अधिक 5000व.मी. तक के विवाह स्थल के लिए – 2000रु. वार्षिक

   (iii) 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिए – 3000रु. वार्षिक

11. प्रत्येक विवाह स्थल पर विवाह या अन्य आयोजन के दिन विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्चे पर विवाह स्थल के बाहर निम्नानुसार गार्डों की व्यवस्था करनी होगी–

(i) 1500 व.मी. से कम के विवाह स्थल के लिए — 2 गार्ड
(ii) 1500 से 5000व.मी. तक के विवाह स्थल के लिए — 3 गार्ड
(iii) 5000व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिए — 4 गार्ड

ये गार्ड वाहनों को विवाह स्थल की निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा [illegible] विवाह स्थल के सामने यातायात को बाधित होने से रोकेंगे।

12. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारियों से निम्नानुसार सफाई शुल्क वसूल किया जावेगा :-
(i) 1500 व.मी. से कम के विवाह स्थल के लिए — 10,000रु. प्रति [illegible]
(ii) 1500 से 5000व.मी. तक के विवाह स्थल के लिए — 20,000रु. प्रति [illegible]
(iii) 5000व.मी. से अधिक के विवाह स्थल के लिए — 30,000रु. प्रति वर्ष

उक्त सफाई शुल्क वर्ष में दो किस्तों में जमा होगा प्रथम किस्त अप्रेल में एवं द्वितीय [illegible] सितम्बर मे देनी होगी। यदि कोई विवाह स्थल मालिक/संचालक पूरे वर्ष का शुल्क [illegible] अप्रेल में जमा कराता है तो उसे 10 प्रतिशत छूट दी जावेगी।

13. विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी को कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थों को अलग– अलग पॉलीबैगस [illegible] करवाकर निगम के सफाई कर्मचारियों को सुपुर्द करना होगा। विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी [illegible] अपशिष्ट पदार्थों को निगम के कचरा डिपो के पास, विवाह स्थल के आसपास या बाहर [illegible] नही डालेंगे यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही [illegible] जुर्माना वसूल किया जावेगा।

14. विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजियन एवं अनुमति शुल्कः–

(अ) इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह स्थल पर प्रति वर्ष क्षेत्रफल के अनुसार [illegible] निम्न प्रकार से देय होगाः–
(a) 1000 व.मी. तक के विवाह स्थल 10,000/–रु. वार्षिक
(b) 1000 व.मी. से अधिक 1500 व.मी. तक के विवाह स्थल 20,000/–रु. वार्षिक
(c) 1500 व.मी. से अधिक 2500 व.मी. तक के विवाह स्थल 30,000/–रु. वार्षिक
(d) 2500 व.मी. से अधिक 5000 व.मी. तक के विवाह स्थल 50,000/–रु. वार्षिक
(e) 5000 व.मी. से अधिक के विवाह स्थल 60,000/–रू. वार्षिक।

नोटः– उपरोक्त शुल्क वार्षिक ना होकर एकमुश्त होगा किन्तु प्रतिवर्ष पंजियन का नवीनीकरण किया जावेगा जोकि बिन्दु सं. 14 के (ब) विवाह स्थल के उपयोग का अनुमति शुल्क प्रतिवर्ष जमा कराने के उपरान्त किया जावेगा।

(ब) विवाह स्थल उपयोग का अनुमति शुल्क 10/–रु प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष देय होगा।

(स) उपरोक्त (अ) व (ब) शुल्क वित्तीय वर्ष के अनुसार देय होंगे यदि विवाह स्थल वित्तीय [illegible] मध्य में स्थापित किया जाता है तो भी पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

उपरोक्त विवाह स्थल पंजियन शुल्क एवं विवाह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) [illegible] शुल्क, नगरीय निकाय को देय किसी भी अन्य शुल्क कर इत्यादि के अतिरिक्त होगा।

नोटः किंतु आवेदन अस्वीकार होने की दशा में यदि आवेदनकर्त्ता द्वारा चालू वित्तीय वर्ष [illegible] का विवाह स्थल के रूप में उपयोग नहीं किया है तो 5000/–रु. प्रोसेसिंग शुल्क [illegible] शेष राशि लौटा दी जावेगी।

15. नगर निगम जयपुर को उपरोक्त सभी दरों में प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् शुल्क वृद्धि [illegible] अधिकार होगा।

16. नवीनीकरणः– अनुमति प्राप्तकर्ता को प्रत्येक 1 वर्ष के पश्चात् विवाह स्थल पंजीयन का नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा जिसके लिये अनुमति प्राप्तकर्ता को पूर्ण पूर्तियों के साथ [illegible] करना होगा, परन्तु–
(क) विलोपित की जाती है।
(ख) विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुमति शुल्क पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा [illegible] वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी अनुमति [illegible] द्वारा पूरे वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा।
(ग) 01फरवरी से 31 मार्च की अवधि में स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत विवाह स्थलों [illegible] अग्रिम वित्तीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
(घ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है [illegible] तीन माह तक देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं तत्पश्चात् [illegible] के विलम्ब पर 100/–रु. विलम्ब शुल्क के रूप मे अतिरिक्त शुल्क शास्ति के [illegible] होगा।

17. विवाह स्थल (उपयोग व उपभोग) का अनुमति पत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन होगा :–
(क) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबन्ध [illegible] जावेंगे।

[illegible] अनुज्ञापत्रधारी द्वारा [illegible] स्थल में आवश्यक हिदायत व सूचनाएं [illegible] [illegible] विवाह स्थल [illegible] निगम द्वारा जारी शर्तें परिसर के बाहर 6 X 4 [illegible] [illegible] अंकित [illegible] इसका निर्धारण स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

(ड) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राज्य सरकार / जिला प्रशासन / नगर निगम द्वारा समय–समय पर [illegible] निर्देशों / निर्देशों की पालना करनी होगी।

(ढ) विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी [illegible] कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थों को अलग– अलग पोलीथिन में एकत्र करवाकर निगम के सफाई कर्मचारियों को सुपूर्द करना होगा। विवाह स्थल अनुज्ञापत्रधारी कचरा व अपशिष्ट पदार्थों को निगम के कचरा डिपो के पास, विवाह स्थल के आस–पास या बाहर सड़क पर नहीं डालेंगे यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जावेगा।

(ण) वह अपने विवाह स्थल पर अग्निशमन से संबधित निर्धारित उपकरण लगवाया जाना सुनिश्चित करेगा। लाइसेंस जारी होने के पश्चात् अग्निशमन अधिकारी विवाह स्थल परिसर की जांच कर सकेगा एवं उक्त परिसर में अग्निशमन के मापदण्ड पूर्ण नही पाता है तो लाइसेंस निरस्त करने की अभिशंषा लाइसेंस ऑथोरिटी को देगा।

(च) स्थानीय निकाय द्वारा विवाह स्थल से कचरा उठाने के लिए निर्धारित किया गया शुल्क अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा।

(छ) अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल के कुल क्षेत्र का 25 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वय के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा एवं उस क्षेत्र को बेरिकेट्स आदि लगाकर पृथक से पार्किंग प्रदर्शित करेगा। अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह स्थल से अनुमोदित ले-आउट प्लान में इंगित शर्तों की पालना सुनिश्चिम करते हुए विवाह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ज) केन्द्र / राज्य सरकार के ध्वनि / वायु प्रदूषण एवं अन्य संबधी नियमों / अधिनियमों की पालना अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की जावेगी।

18. अभियोजनः– नगर निगम जयपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो स्वास्थ्य निरीक्षक से कनिष्ठ पद का नही होगा, विवाह स्थल का निरीक्षण कर सकेगा। यदि उपयोग एवं उपभोग मे निर्देशित शर्तें उपविधियो का उल्लघन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 3 दिवस में पूर्ति करने हेतु अनुमति प्राप्तकर्ता को सूचित किया जावेगा, यदि नियत अवधि में अनुमति प्राप्तकर्ता पालना नहीं करता है तो अनुमति पत्र अविलम्ब निरस्त किया जाकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल सम्पत्ति को सीज किया जाकर दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी के विरुद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

19. समझौताः– न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55, में गठित समिति या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत समिति / अधिकारी को होगा।

20. उपविधियों का उल्लंघनः– इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन पाया जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10000/–रु. का अर्थदण्ड दिया जाकर उपविधि सं. 17 के अंतर्गत कार्यवाही अनुमति प्राप्तकर्ता के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।

21. अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवानाः– अर्थदण्ड की धनराशि अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

22. अवैध विवाह स्थलों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही– यदि किसी संस्थान अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के स्थानीय निकाय सीमा में विवाह स्थल विद्यमान अथवा शुरू किया जाता है तो कार्यवाही की जावेगी।

23. उपविधियों की किसी भी शर्त का उल्लघन करने पर विवाह स्थल को सीज करने का अधिकार अनुज्ञप्ति अधिकारी को होगा एवं इसकी अपील 30 दिवस में महापौर महो. को की जा सकेगी। महापौर नगर निगम दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करेंगे।

24. जनरेटर रूम की व्यवस्थाः– नगर निगम जयपुर क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों में जेनरेटर सेट इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो।

25. सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोकः– स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मोहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोड़े गये है उनका उपयोग विवाह स्थलो हेतु नही किया जावेगा, न ही उन्हे अनुमति पत्र जारी किया जावेगा। उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी उपयोग में लिया जा सकेगा।

26. सामुदायिक केन्द्रों में विवाह स्थलों के उपयोग पर शुल्क राशि में छूटः– भारत सरकार / राज्य सरकार के सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों / उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है परन्तु ऐसे विवाह स्थल जिनका संचालन भारत सरकार / राज्य सरकार के सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों / उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है को उपविधि 14 में दर्शायी गयी दरों में छूट होगी।

27. पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना— [illegible] के खर्च पर सुनिश्चित करनी होगी। [illegible] द्वारा विवाह जुलूस को यातायात की सुव्यवस्था [illegible] किसी क्षेत्र में समय विशेष पर विवाह जुलूस की अनुमति [illegible]

28. विवाह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंध— अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा [illegible] अनुमति प्राप्त होने के बाद अनुमति पत्र की [illegible] देनी आवश्यक होगी। स्थानीय निकाय द्वारा समाज की सामाजिक [illegible] की पूर्ति करने का दृष्टिगत रखते हुये विवाह स्थल (उपयोग व अनुमति) हेतु जारी अनुमति [illegible] भी प्रकार की भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अधिकार नहीं माना जायेगा। अनुमति [illegible] द्वारा भविष्य में संबंधित स्थल का भू–उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा [illegible] भू–उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर संबंधित [illegible] अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

29. स्थानीय निकाय का सर्वाधिकार सुरक्षित— विवाह स्थल (उपयोग एवं [illegible]) अनुमति [illegible] भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्थानीय निकायों द्वारा [illegible] हेतु जारी अनुमति पत्र की स्वीकृति का [illegible] बिना [illegible] निरस्तीकरण पर स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

30. वर्तमान में अवैध रूप से संचालित विवाह स्थलों को विवाह स्थल अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने [illegible] संबंध में:— नगर निगम जयपुर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नगर निगम जयपुर के [illegible] में वर्तमान में संचालित विवाह स्थलों एवं उपविधि 2 के खण्ड (IX) में वर्णित अन्य [illegible] उपयोग में लाये जा रहे स्थलों का सर्वेक्षण अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस [illegible] करवाया जाकर जोनवार सूची तैयार की जाकर उपविधि संख्या 14,16,17,18 एवं [illegible] कार्यवाही की जावेगी।

31. अनुमति प्राप्तकर्ता से शपथ पत्र प्राप्त किया जाना— प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह स्थल [illegible] स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुमति प्राप्तकर्ता से 10 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र पर [illegible] आशय का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियों में वर्णित [illegible] दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं [illegible] निरस्त समझा जा सकेगा।

32. निरसन और व्यावृतियां— इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात पूर्व में [illegible] आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियां निरस्त समझी जावेगी, लेकिन इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियां प्रभावशील [illegible] कारण अवैध नहीं समझा जावेगा।

साधारण सभा की आज्ञा से।

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)
विवाह स्थल उपयोग हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र
प्रपत्र–'क'

1. विवाह स्थल का नाम ....
2. विवाह स्थल का पता ....
3. आवेदक का नाम ....
4. पता/दूरभाष नं. (कार्या/निवास/मोबाईल) ....
5. भूखण्ड मालिक का नाम, पता व दूरभाष नं. (कार्या/निवास/मोबाईल) ....
6. विवाह स्थल का कुल क्षेत्रफल ....
7. आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों के समाहित करने की क्षमता ....
8. अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाण पत्र के जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति ....
9. सफाई शुल्क जमा की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति ....
10. पंजीयन जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति ....
11. अनुमति जमा शुल्क की रसीद नं. मय दिनांक की फोटोप्रति ....

[illegible]

[illegible] अनुज्ञा पत्र जारी करने का श्रम करावे।

दिनांक :–

आवदेक के हस्ताक्षर
नाम:
पता/टेलीफोन न.

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)
प्रपत्र–"ख"
विवाह स्थल अस्थायी अनुज्ञापत्र वर्ष ....

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र आदि के आधार पर वितीय वर्ष .... के लिए निम्न भूखण्ड का उपयोग नगर निगम जयपुर (विवाह स्थल पंजीयन) संशोधन उपविधियां, 2012 के अन्तर्गत विवाह स्थल के रूप मे करने की अस्थायी अनुज्ञा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तथ्यों की विवाह स्थल पर भौतिक जांच मे सही पाए जाने के अध्याधीन दी जाती है जिनकी जांच 30 दिवस में की जाकर सही पाये जाने पर वार्षिक या स्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा।

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. मालिक का नाम व पता ....
4. दूरभाष न. (कार्यालय/निवास/मोबाईल) ....
5. विवाह स्थल का नाम एवं पता ....
6. जोन का नाम जिनके क्षेत्र मे है ....
7. वार्ड न. ....
8. विवाह स्थल के बारे मे विवरण ....
9. वितीय वर्ष ....
10. निर्देश ....

नोट :– इस अनुज्ञा पत्र का उपयोग भूखण्ड के सामिल्त भू–उपयोग निर्धारण के लिए मान्य नही है।

हस्ताक्षर लाइसेंसी ऑथोरिटी

जगरूप सिंह यादव
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी एवं आयुक्त,
नगर निगम, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।